



उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी

(स्वायत्तशासी संस्था)



प्रवेश परीक्षा विवरणिका

प्रवेश परीक्षा सत्र 2023-24

(स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा पाठ्यक्रम)



www.upcollege.ac.in



बैक ग्राग B श्रेणी प्रदत्त



राजर्षि उदय प्रताप सिंह जू देव

03 सितम्बर, 1850 - 14 जुलाई, 1913

तुम सुरपुर सुरतरू पितृदेव ! हम संतति सुमन तुम्हारे हैं।
राजर्षि ! तुम्हारे पद रज ही संबल, बल, शौर्य हमारे हैं।
हम क्या दें तुम्हें अमरदानी ! निज वरद हस्त आगे कर दो।
लो यह अभिनन्दन-पत्र पुष्प, झोली आशीषों से भर दो।

कुलगीत

विद्या का ऐसा मन्दिर, कोई कहीं नहीं है ।
राजर्षि कीर्ति मन्दिर, जैसा कहीं नहीं है ॥

राजर्षि का यह उपवन, होता जहाँ मगन मन ।
सरसे जहाँ सुधाकन, विज्ञान ज्ञान पावन ॥
काशी की ज्ञान गंगा, गुरु-कुल नवल बवल है ।
उस देव से तपोवन, की कल्पना प्रबल है ॥

विद्या का ऐसा मन्दिर, कोई कहीं नहीं है ।
राजर्षि कीर्ति मन्दिर, जैसा कहीं नहीं है ॥

दृढ़ राष्ट्र भक्ति मन में, शक्ति भरी हो तन में ।
बलिदान देश के हित, सेवा का भाव जन में ॥
क्षत्रित्व से है जिसने, इस देश को जगाया ॥
शिक्षा के दीप से है, तम तोम को भगाया ॥

विद्या का ऐसा मन्दिर, कोई कहीं नहीं है ।
राजर्षि कीर्ति मन्दिर, जैसा कहीं नहीं है ॥

सर्वस्व दानदाता के, पुण्य की पताका ।
मानव को रचने वाली, नवज्योति की शलाका ॥
नित सत्य के लिए ही, है सत्य का आराधन ।
वेदान्त-योग केवल, जीवन के सच्चे साधन ॥

विद्या का ऐसा मन्दिर, कोई कहीं नहीं है ।
राजर्षि कीर्ति मन्दिर, जैसा कहीं नहीं है ॥

मस्तक में ज्ञान गरिमा, मानस में भाव उज्ज्वल ।
मंगल विधान करना, शिक्षा का ध्येय केवल ॥
प्राचीन का समागम, नव ज्ञान का भी उद्गम ।
यह लक्ष्य लेके आगे, बढ़ते रहे सदा हम ॥

विद्या का ऐसा मन्दिर, कोई कहीं नहीं है ।
राजर्षि कीर्ति मन्दिर, जैसा कहीं नहीं है ॥

शिक्षा के संदर्भ में राजर्षि के विचार

ईश्वर ने मनुष्य को ज्ञान मानवता के कल्याण के निमित्त दिया है न कि उसका अहित करने के लिए जो शिवा प्रणाली विश्व शान्ति एवं सम्पूर्ण मानव जाति की उन्नति में सहायक नहीं होती वह किसी काम की नहीं

- 25 नवम्बर 1909 को विद्यालय के वसतिगृह भवन के उद्घाटन के अवसर पर राजर्षि का वक्तव्य ।

संस्था का संक्षिप्त परिचय

उदय प्रताप कालेज (स्वायत्तशासी संस्था), वाराणसी नगर के पश्चिमोत्तर भाग में भोजूबीर के निकट प्रदूषण मुक्त हरी-भरी विस्तृत भूमि पर स्थित है। प्रकृति के स्वच्छन्द वातावरण में शैक्षणिक, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए यह एक सर्वोत्तम संस्थान है। शिक्षा के विशेष उद्देश्य से प्रेरित होकर बहराइच (श्रावस्ती) जिले के दानवीर भिनगा नरेश राजर्षि उदय प्रताप सिंह जूदेव (1850-1913) ने इसकी नींव 1909 में हिवेट क्षत्रिया हाईस्कूल के रूप में डाली। औदार्य, निर्भीकता और भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम उनके स्वाभाविक गुण थे। विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास एक साथ हो सके इसके लिए उन्होंने पठन-पाठन और रहन-सहन की व्यवस्था के अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा आदि की ओर विशेष ध्यान दिया।

सर्वप्रथम राजर्षि जी ने दो लाख रुपये में महाराज कुर्ग का पुराना निवास भवन खरीदा जिसमें इस समय आर.एस.एम.टी. स्थित है। तत्पश्चात् लगभग पचास एकड़ भूमि क्रय की गई। विद्यालय के संचालन के लिए 10.50 लाख रुपये की एक स्थाई निधि कायम की गई और सन् 1909 में शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया। 1921 में इण्टर कक्षाओं के खुलने पर कोष की अतिरिक्त वृद्धि कर स्थाई निधि को 18.50 लाख रुपये कर दिया गया। इसी वर्ष विद्यालय का नाम हिवेट क्षत्रिया हाई स्कूल से बदलकर उदय प्रताप इण्टरमीडिएट कालेज रखा गया। इण्टर में कृषि और वाणिज्य की कक्षाएँ क्रमशः 1942 और 1945 में प्रारम्भ की गई।

जुलाई 1949 में कला और वाणिज्य की कक्षाओं के साथ उदय प्रताप डिग्री कालेज की स्थापना हुई। 1950 में विज्ञान तथा 1963 में कृषि की कक्षाओं के खुलने के साथ स्नातक स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था पूरी की गई। जुलाई 1970 में विज्ञान और कला के कुछ विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएँ खोली गयीं। जुलाई 1972 में कृषि में भी स्नातकोत्तर कक्षाएँ तथा अक्टूबर 1972 में बी.एड. की कक्षाएँ खोली गयीं। अब स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास तथा राजनीतिशास्त्र, वाणिज्य संकाय में वाणिज्य, विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित तथा सांख्यिकी, कृषि संकाय में उद्यान विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान तथा कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान की शिक्षा दी जाती है।

कालेज 1949 से 1960 तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था, 1960 में गोरखपुर विश्वविद्यालय से तथा 1988 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से सम्बद्ध हुआ। सत्र 2009-2010 से महाविद्यालय की सम्बद्धता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से हो गई है। सत्र 1991-1992 से यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) द्वारा स्वायत्तशासी घोषित कर दिया गया तथा यू.जी.सी. नैक द्वारा B श्रेणी प्रदत्त है।

रोजगार परक शिक्षा के तहत कालेज में NIELIT (National Institute of Electronics & Information Technology) से मान्यता प्राप्त CCC (कोर्स आन कम्प्यूटर कन्सेप्ट्स) एवं DCA (डिप्लोमा इन कम्प्यूटर अप्लिकेशन), DICT (डिप्लोमा इन इन्फार्मेशन कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी), DIBT (डिप्लोमा इन बायो-टेक्नोलॉजी), PGDCA (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर अप्लिकेशन) तथा PGDES (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इनवारनमेन्ट साइंस) पाठ्यक्रम संचालित है।

कालेज को 2011 में यू0जी0सी0 द्वारा College with Potential for excellence, DST द्वारा FIST (Fund for Improvement of Infrastructure in Science & Technology) Programme एवं 2013 में D.B.T. द्वारा STAR College Scheme के अन्तर्गत चयनित किया गया है। वर्तमान में कालेज को वर्ष 2019 से डी.बी.टी. स्टार स्कीम के अन्तर्गत स्टार स्टेट्स का स्तर प्राप्त है।

UDAI PRATAP COLLEGE, VARANASI

(Autonomous institution)

Courses : 2023-24

UNDER GRADUATE (UG)



POST GRADUATE (PG)



DIPLOMA



B.A.	M.A. - Hindi	CCC
B.Com.	M.A. - Economics	DCA
B.Sc.(PM)	M.A. - Geography	DICT
B.Sc.(BZ)	M.A. - Sociology	DIBT
B.Sc.(Hons.) Agriculture	M.A. - Anc. History	PGDCA
	M.A. - Political Science	PGDES
	M.Com.	
	M.A./M.Sc.-Maths	
	M.A./M.Sc.-Statistics	
	M.Sc.- Chemistry	
	M.Sc.- Physics	
	M.Sc.- Zoology	
	M.Sc.- Botany	
	M.Sc.(Ag.)- Horticulture	
	M.Sc.(Ag.)- Ag. Economics	
	M.Sc.(Ag.)- Animal Husbandry & Dairy	
	M.Sc.(Ag.)- Ag. Chemistry & Soil Science	

उदय प्रताप कालेज, वाराणसी
(स्वायत्तशासी संस्था)

प्रवेश परीक्षा-2023
शुल्क विवरण

	अंतिम तिथि	सामान्य	अन्य पिछड़ जाति	अनु0 जाति / अनु0 जनजाति
स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए	20.04.2023 से 31.05.2023	850.00	850.00	750.00
डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए	20.04.2023 से 31.05.2023	300.00	300.00	300.00

प्रवेश परीक्षा-2023 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ

- स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा की सम्भावित तिथि : जुलाई 2023 प्रथम सप्ताह
- स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु खिलाड़ी कोटे के प्रवेशार्थियों के ट्रायल की तिथि : जुलाई, 2023 द्वितीय सप्ताह
- प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित होने की सम्भावित तिथि : जुलाई 2023 तृतीय सप्ताह
- प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग की सम्भावित तिथि : जुलाई-2023 अन्तिम सप्ताह से अगस्त-2023 अन्तिम सप्ताह तक

❖	प्रवेश परीक्षा आवेदन-पत्र कालेज की वेबसाइट www.upcollege.ac.in पर उपलब्ध है।	
❖	प्रवेश परीक्षा आवेदन-पत्र कालेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की तिथि	20 अप्रैल, 2023 से 31 मई, 2023 तक
❖	एच.डी.एफ.सी. बैंक/इण्डियन बैंक में ऑनलाइन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	31 मई, 2023 तक

नोट :

- अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा का प्रवेश-पत्र कालेज की वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे तथा प्रवेश परीक्षा के समय अपने पास अनिवार्य रूप से लेकर आयेंगे। बिना प्रवेश-पत्र के प्रवेश परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा।
- प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी तथा समय-सारिणी कालेज की वेबसाइट www.upcollege.ac.in पर देखा जा सकता है।
- प्रवेश परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।
- आवेदक प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित जानकारी हेतु समय-समय पर कालेज की वेबसाइट देखते रहें।
- आवेदक प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित जानकारी निम्नलिखित मोबाइल नम्बर पर भी प्राप्त कर सकते हैं :

9415852403, 7007454646, 9415390998

Kali

DEVI

स्नातक प्रवेश परीक्षा सत्र 2023–24 हेतु पात्रता (Eligibility)

1. बी0ए0, बी0एस–सी0 (गणित एवं जीव विज्ञान वर्ग)/ बी0काम0 में प्रवेश हेतु

- (अ) इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण/सम्मिलित विद्यार्थी ही प्रवेश परीक्षा के लिये अर्ह होंगे।
(ब) प्रवेशार्थी की आयु 01 जुलाई, 2023 को 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
(स) प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् आवंटित विषय में परिवर्तन सम्भव नहीं है। सभी पाठ्यक्रमों में शासन/विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार सीटों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

2. बी0एस–सी0 (आनर्स) कृषि में प्रवेश हेतु–

- (i) इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा कृषि अथवा विज्ञान विषय से उत्तीर्ण/सम्मिलित विद्यार्थी ही प्रवेश परीक्षा के लिये अर्ह होंगे।
(ii) प्रवेशार्थी की आयु 01 जुलाई, 2023 को 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
(iii) उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के अधिकतम 5 प्रतिशत छात्रों को श्रेष्ठता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
(iv) बी0एस–सी0 (आनर्स) कृषि में प्रवेश हेतु इच्छुक विद्यार्थी जिस राज्य के मूल निवासी है, उस राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल/सामान्य निवास प्रमाण-पत्र विद्यार्थी के पास प्रवेश के समय होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी से निर्गत मूल/सामान्य निवास प्रमाण-पत्र के अभाव में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। जो छात्र उत्तर प्रदेश के निवासी है उनके पास उत्तर प्रदेश का मूल/सामान्य निवास प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय होना अनिवार्य है। यदि जो छात्र उत्तर प्रदेश के बाहर का है और वह अन्य स्टेट कोटा में आवेदन करता है तो उसके पास भी उस राज्य का मूल/सामान्य निवास प्रमाण-पत्र काउन्सिलिंग के समय होना अनिवार्य है।
(v) शासन/विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार सीटों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

नोट :- यदि अभ्यर्थी गतवर्ष में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से स्नातक कक्षाओं में प्रवेश ले चुका है और अनुत्तीर्ण हुआ है या कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में बैठने से रोका गया है अथवा उसके विरुद्ध कालेज द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, वे अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिये अर्ह नहीं होंगे।

स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमवार प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	स्वीकृत सीटों की संख्या + गरीब सवर्ण(10%)
1.	B.A. बी0ए0	580+ 58 = 638
2.	B.Com. बी0काम0	240 +24 = 264
3.	B.Sc. (PM) बी0एस–सी0 (पी.एम.)	420 + 42 = 462
4.	B.Sc. (BZ) बी0एस–सी0 (बी.जेड.)	420 + 42 = 462
5.	B.Sc. (Hons.) Agriculture बी0एस–सी0 (आनर्स) कृषि	150 + 15 = 165

नोट :

रोजगार परक शिक्षा के तहत कालेज में NIELIT (National Institute of Electronics & Information Technology) से मान्यता प्राप्त CCC (कोर्स आन कम्प्यूटर कन्सेप्ट्स) पाठ्यक्रम संचालित है जिसकी समय अवधि तीन माह है। इसके साथ ही DCA (डिप्लोमा इन कम्प्यूटर अप्लिकेशन), DICT (डिप्लोमा इन इन्फार्मेशन कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी) तथा DIBT (डिप्लोमा इन बायो-टेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम संचालित है जिसकी समय अवधि क्रमशः एक-एक वर्ष का है। स्नातक स्तर के छात्र/छात्राएँ स्नातक पाठ्यक्रम के साथ-साथ इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

प्रवेश परीक्षा सत्र 2023–24 महत्वपूर्ण सूचनाएँ

1. प्रवेश परीक्षा [विवरणिका](#) अभ्यर्थियों के लिए सामान्य दिग्दर्शन मात्र है। तत्पश्चात् होने वाले कोई भी परिवर्तन कालेज की वेबसाइट www.upcollege.ac.in पर उपलब्ध रहेगा।
2. कालेज में स्नातक स्तर पर बी.ए., बी.काम., बी.एस–सी. (पी0एम0) एवं बी.एस–सी. (बी0जेड0) . पाठ्यक्रम तीन वर्ष तथा बी.एस–सी (आनर्स) कृषि का पाठ्यक्रम चार वर्ष का है तथा इन सभी में सेमेस्टर प्रणाली लागू है।
3. प्रवेश परीक्षा आवेदन–पत्र कालेज की वेबसाइट www.upcollege.ac.in पर भरा जाना है।
4. शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड तथा अधिभार से सम्बन्धित सभी प्रमाण–पत्रों को अपलोड करने तथा प्रवेश परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करने के पश्चात् प्रवेश परीक्षा आवेदन–पत्र पूर्ण माना जायेगा।
5. आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य जाति के अभ्यर्थी को वित्तीय वर्ष 2022–23 का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत EWS प्रमाण–पत्र काउन्सिलिंग के समय लाना अनिवार्य होगा।
6. प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को उनके द्वारा अपलोड किये गये समस्त प्रमाण–पत्रों तथा प्रवेश परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करने के पश्चात् अनंतिम प्रवेश (Provisional Admission) माना जायेगा।
7. कालेज द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही प्रवेश कार्य सम्पन्न होगा। निर्धारित तिथि पर काउन्सिलिंग में उपस्थित न होने पर प्रवेशार्थी का प्रवेश का दावा स्वतः निरस्त हो जायेगा।
8. काउन्सिलिंग के समय प्रवेशार्थी द्वारा आवेदन–पत्र के साथ अपलोड किये गये समस्त प्रमाण–पत्रों का मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चरित्र प्रमाण–पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र एवं एण्टी रैगिंग शपथ–पत्र मूलरूप में जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश पूर्ण माना जायेगा। इसे प्रस्तुत न किए जाने की दशा में उसका प्रवेश हेतु दावा स्वतः निरस्त हो जायेगा।
9. अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण–पत्र पिता के नाम एवं आय प्रमाण–पत्र पति के नाम से होना चाहिये।
10. प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित सभी सूचनाएं कालेज के वेबसाइट, कालेज सूचना पट्ट तथा स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से उपलब्ध होगी।
11. कालेज में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित है। रैगिंग की सूचना मिलने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों एवं यू.जी.सी. नई दिल्ली के दिशा–निर्देशों के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

**स्नातक (बी0ए0, बी0काम0, बी0एस-सी0) में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए दिशा-निर्देश
(राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020)**

उत्तर प्रदेश शासन के दिशा-निर्देश के आलोक में उदय प्रताप कालेज, वाराणसी में सत्र 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम लागू है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का पाठ्यक्रम केवल बी0ए0, बी0काम0, बी0एस-सी0, एम0ए0, एम0काम0 एवं एम0एस-सी0 में लागू है। बी0एड0, बी0एस-सी0 (आनर्स) कृषि एवं एम0एस-सी0 (कृषि) पाठ्यक्रम पूर्ववत् रहेंगे।

1. कालेज में बहु विषयकता उपलब्ध कराने हेतु संकायवार विषय निम्नवत् हैं :

(A) कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय-

- (i) भूगोल
- (ii) अर्थशास्त्र
- (iii) समाज शास्त्र
- (iv) राजनीति विज्ञान
- (v) प्राचीन इतिहास
- (vi) इतिहास
- (vii) मनोविज्ञान
- (viii) रक्षा अध्ययन एवं स्त्रातजिक
- (ix) शारीरिक शिक्षा

(B) भाषा संकाय -

- (i) हिन्दी
- (ii) संस्कृत
- (iii) अंग्रेजी

(C) वाणिज्य संकाय-

- (i) वाणिज्य

(D) विज्ञान संकाय-

- (i) रसायन विज्ञान
- (ii) वनस्पति विज्ञान
- (iii) भौतिकी
- (iv) जन्तु विज्ञान
- (v) गणित
- (vi) सांख्यिकी

2. भाषा संकाय को बहु विषयकता के लिए अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें उपाधि कला संकाय (बी0ए0) की मिलेगी।

3. विषय चुनाव एवं प्रवेश प्रक्रिया/मुख्य विषय एवं माइनर इलेक्टिव पेपर

- 3.1 सर्वप्रथम विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलाया जायेगा जिसमें वह तीन वर्ष (प्रथम से छठें सेमेस्टर) तक अध्ययन कर सकता है।
- 3.2 कालेज में उपलब्ध सीट एवं नियमों के आधार पर विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय में प्रवेश दिया जायेगा।
- 3.3 तत्पश्चात विद्यार्थी द्वारा तीन मुख्य विषयों (Major Subjects) का चुनाव करना होगा जिनमें से दो मुख्य विषय विद्यार्थी द्वारा चुने हुए संकाय से लेना अनिवार्य होगा तथा तीसरा मुख्य विषय अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से विषय उपलब्धता के आधार पर ले सकता है।
- 3.4 कोई विद्यार्थी तीसरे मुख्य विषय का चुनाव अगर अन्य संकाय से करता है तो वह माइनर इलेक्टिव पेपर (चौथे विषय) का चुनाव अपने संकाय से भी कर सकते हैं।
- 3.5 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा चौथे माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन विद्यार्थी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (other faculty) से हो।
- 3.6 विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में एक-एक माइनर इलेक्टिव पेपर (एक माइनर पेपर/प्रति वर्ष) चौथे विषय से (उनके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त के रूप में) लेना अनिवार्य होगा। माइनर इलेक्टिव पेपर अपने संकाय (Own Faculty) अथवा दूसरे संकाय (Other Faculty) से विषय उपलब्धता के आधार पर ले सकता है।
- 3.7 माइनर इलेक्टिव पेपर किसी भी विषय का पेपर होगा (4 क्रेडिट) न कि पूर्ण विषय।
- 3.8 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के पेपर में से करना होगा।
- 3.9 प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्ष (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक रोजगारपरक पाठ्यक्रम (Vocational Course) का चयन करना होगा। इस प्रकार स्नातक कार्यक्रम के दो वर्षों में 04 रोजगारपरक पाठ्यक्रम (Vocational Course) पूर्ण किये जाने हैं।
- 3.10 इसके अलावा प्रत्येक विद्यार्थी को स्नातक पाठ्यक्रम के तीन वर्षों के प्रत्येक सेमेस्टर में सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) का एक-एक विषय लेना अनिवार्य होगा।
- 3.11 इस प्रकार स्नातक कार्यक्रम के पहले 3 वर्षों में निम्नवत् 06 सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने हैं।

क्र०सं०	विषय/पाठ्यक्रम	मेजर/माइनर विषय	संकाय से विषय का चुनाव
1.	प्रथम विषय	मुख्य विषय	अपने संकाय से
2.	द्वितीय विषय	मुख्य विषय	अपने संकाय से
3.	तृतीय विषय	मुख्य विषय	अपने/अन्य संकाय से
4.	चतुर्थ विषय	माइनर इलेक्टिव विषय	अन्य/अपने संकाय से
5.	कौशल विकास पाठ्यक्रम		
6.	सह-पाठ्यक्रम		

4. रोजगार परक कोर्स (कौशल विकास कोर्स)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्ष (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में तीन क्रेडिट का एक रोजगारपरक पाठ्यक्रम (Vocatioanl Course) करना होगा। इस प्रकार स्नातक कार्यक्रम के दो वर्षों में 04 रोजगारपरक पाठ्यक्रम (Vocatioanl Course) पूर्ण किये जाने हैं जो निम्नवत् है:-

विज्ञान संकाय (गणित वर्ग) के अभ्यर्थी के लिए :-

- (i) बेसिक्स ऑफ कम्प्यूटर एप्लिकेशंस
- (ii) बेसिक्स ऑफ माइक्रोसाफ्ट आफिस
- (iii) वेब डिजाइनिंग
- (iv) इन्फार्मेशन एण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
- (v) गुड लैबोरटरी प्रैक्टिसेस
- (vi) कोर्स आन कम्प्यूटर कन्सेप्ट्स (CCC- NIELIT से मान्यता प्राप्त)

विज्ञान संकाय (जीव विज्ञान वर्ग) के अभ्यर्थी के लिए :-

- (i) बेसिक्स ऑफ कम्प्यूटर एप्लिकेशंस
- (ii) बेसिक्स ऑफ माइक्रोसाफ्ट आफिस
- (iii) वेब डिजाइनिंग
- (iv) इन्फार्मेशन एण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
- (v) फिशरीज
- (vi) कोर्स आन कम्प्यूटर कन्सेप्ट्स (CCC- NIELIT से मान्यता प्राप्त)

कला संकाय के अभ्यर्थी के लिए :-

- (i) टूर एण्ड ट्रैवेल मैनेजमेन्ट
- (ii) रिटेल मैनेजमेन्ट
- (iii) गाइडेन्स एण्ड काउंसिलिंग
- (iv) हिन्दी में जन संचार और ज्ञान के विविध स्रोत
- (v) कोर्स आन कम्प्यूटर कन्सेप्ट्स (CCC- NIELIT से मान्यता प्राप्त)

वाणिज्य संकाय के अभ्यर्थी के लिए :-

- (i) इण्ट्रोडक्शन टू जी.एस.टी.
- (ii) प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एण्ड रूलिंग प्रोसीजर ऑफ जी.एस.टी.
- (iii) फण्डामेन्टल्स ऑफ इश्योरेंस
- (iv) सेल्स मैनेजमेन्ट
- (v) कोर्स आन कम्प्यूटर कन्सेप्ट्स (CCC- NIELIT से मान्यता प्राप्त)

नोट :- कोर्स आन कम्प्यूटर कन्सेप्ट्स (CCC) पाठ्यक्रम, जो कि NIELIT से मान्यता प्राप्त है, का चयन करने वाले छात्रों को कालेज द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त (CCC) पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा।

5. सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम

- 5.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों में प्रत्येक सेमेस्टर में सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) के एक-एक विषय का अध्ययन करना होगा। इस प्रकार स्नातक कार्यक्रम के 3 वर्षों में 06 सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने हैं।
- 5.2 स्नातक (बी0ए0, बी0काम0 तथा बी0एस-सी0) के विद्यार्थियों के लिए सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम (Co-Curricular course) के सम्बन्ध में शासन द्वारा अनुशंसित निम्न विषयों की पढ़ाई की जाएगी (एक विषय/सेमेस्टर)–
- खाद्य पोषण एवं स्वच्छता (प्रथम सेमेस्टर)
 - प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (द्वितीय सेमेस्टर)
 - मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (तृतीय सेमेस्टर)
 - शारीरिक शिक्षा एवं योग (चतुर्थ सेमेस्टर)
 - विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (पंचम सेमेस्टर)
 - संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (षष्ठम् सेमेस्टर)
- 5.3 हर सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम को विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम के प्राप्तांक विद्यार्थी की सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

6. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

- 6.1 एक सेमेस्टर में कम से कम 15 सप्ताह होंगे।
- 6.2 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घण्टा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घण्टे का शिक्षण कार्य कराना होगा।
- 6.3 प्रैक्टिकल/इण्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घण्टे प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घण्टे का प्रैक्टिकल/ इण्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा।
- 6.4 स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में तीन मुख्य विषय (Major Subject), एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) एवं दो रोजगार परक पाठ्यक्रम (Vocationl Course) होंगे जिन्हें उत्तीर्ण करने तथा कम से कम 46 क्रेडिट प्राप्त करने पर सर्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा।
- प्रथम वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर में सभी मुख्य विषय (Major subjects) (सैद्धान्तिक और प्रायोगिक मिलाकर) 6 क्रेडिट एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रम 3 क्रेडिट का होगा। सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम का कोई क्रेडिट नहीं होगा तथा माइनर इलेक्टिव पेपर 04 क्रेडिट का होगा।
- 6.5 स्नातक स्तर के द्वितीय वर्ष में तीन मुख्य विषय (Major subject), एक माइनर इलेक्टिव पेपर (Minor Subject), दो सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) एवं दो रोजगारपरक पाठ्यक्रम (Vocationl Course) होंगे जिन्हें उत्तीर्ण करने तथा कम से कम 92 क्रेडिट (प्रथम वर्ष के क्रेडिट को मिलाकर) प्राप्त करने पर डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।

द्वितीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर में सभी मुख्य विषय (Major subjects) (सैद्धान्तिक और प्रायोगिक मिलाकर) 6 क्रेडिट एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रम 3 क्रेडिट का होगा। सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम का कोई क्रेडिट नहीं होगा तथा माइनर इलेक्टिव पेपर 04 क्रेडिट का होगा।

- 6.6 स्नातक स्तर के तृतीय वर्ष में दो मुख्य विषय (Major subject), दो सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) एवं एक इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग/सर्वे/प्रोजेक्ट (दोनों मुख्य विषयों में से किसी एक मुख्य विषय से सम्बन्धित) होगा, जिन्हें उत्तीर्ण करने तथा कम से कम 132 क्रेडिट (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के क्रेडिट को मिलाकर) प्राप्त करने पर डिग्री प्रदान की जाएगी।

तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर में मुख्य विषय (सैद्धान्तिक और प्रायोगिक मिलाकर) 10 क्रेडिट का होगा।

- 6.7 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा।

उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट कालेज में जमा (surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह तीन वर्ष (6 सेमेस्टर) पूर्ण करने के पश्चात् 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

- 6.8 यदि कोई योग्य छात्र सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

- 6.9 विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक यूजीसी/शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसी अनुपात में Course/ विषय छोड़ सकेंगे। यूजीसी के नियमों के अनुसार ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट को छात्र के क्रेडिट में जोड़ दिया जायेगा और तब रिजल्ट बनाया जायेगा।

7. शोध परियोजना

- 7.1 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से सम्बन्धित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना interdisciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इण्टरनशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

- 7.2 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी। एक को-सुपरवाइजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।

- 7.3 विद्यार्थी वर्ष के अन्त में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त रिपोर्ट/शोध प्रबन्ध (Report/Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अन्त में सुपरवाइजर एवं कालेज द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

- 7.4 स्नातक स्तर के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सीजीपीए की गणना सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

8. पाठ्यक्रम से निकास, पुनः प्रवेश एवं विषय परिवर्तन

- 8.1 विद्यार्थी को 01 वर्ष (2 सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास (Exit) तथा 02 वर्ष (4 सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी।

- 8.2 विद्यार्थी को 3 वर्ष (6 सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।
- 8.3 विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर में नियमानुसार पुनः प्रवेश ले सकेगा।
- 8.4 यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट कालेज में जमा (surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।
- 8.5 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- 8.6 छात्र को विश्वविद्यालय/कालेज में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- 8.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

9. परीक्षा व्यवस्था

- 9.1 प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कालेज की परीक्षा समिति द्वारा तय किया जाएगा।
- 9.2 साधारणतया पेपर उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक होंगे तथा वर्ष उपरान्त सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/उपाधि प्राप्त करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट होंगे, जिसके बारे में ऊपर के बिन्दुओं में बताया जा चुका है।
- 9.3 सभी सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्र अधिकतम 100 अंक के होंगे जिनमें 75 अंक सत्रांत परीक्षा द्वारा तथा 25 अंक सतत् आन्तरिक मूल्यांकन द्वारा प्रदान किये जायेंगे।
- 9.4 प्रायोगिक परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें 50 अंक प्रयोगात्मक, 25 अंक मौखिकी एवं 25 अंक सतत् आन्तरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किये जायेंगे। प्रायोगिक परीक्षा में एक वाह्य तथा एक आन्तरिक परीक्षक नियुक्त किये जायेंगे।
- 9.5 सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम को विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम के प्राप्तांक विद्यार्थी की सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 9.6 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी होने वाले दिशा-निर्देशों के आलोक में उपर्युक्त में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।

कला संकाय के विद्यार्थियों हेतु विषय चयन हेतु दिशा-निर्देश :

1. विद्यार्थी तीनों सैद्धान्तिक (Theory) विषय ले सकता है।
2. विद्यार्थी एक सैद्धान्तिक (Theory) तथा दो प्रायोगिक (Practical) विषय ले सकता है।
3. विद्यार्थी दो सैद्धान्तिक (Theory) तथा एक प्रायोगिक (Practical) विषय ले सकता है।

कला संकाय के विद्यार्थियों हेतु विषय चयन के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध—

1. विद्यार्थी तीनों प्रायोगिक विषय (Practical) नहीं ले सकता है।
2. निम्नलिखित विषय एक साथ नहीं लिया जा सकता है।
 - (i) अंग्रेजी व संस्कृत
 - (ii) मनोविज्ञान व प्राचीन इतिहास
 - (iii) मनोविज्ञान व रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन
 - (iv) भूगोल, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास तथा प्राचीन इतिहास
3. सांख्यिकी एवं गणित दोनों विषय एक साथ लेना अनिवार्य है और इन दो विषयों के साथ तीसरे विषय के रूप में केवल अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान और शारीरिक शिक्षा विभाग में से कोई एक विषय लिया जा सकता है।
4. कालेज की समय-सारिणी के अनुसार वैकल्पिक विषयों के चुनाव में और भी प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।

Structure of Under Graduate (U.G.) Courses

(NATIONAL EDUCATION POLICY-2020)

Admission B.A. Ist Semester (Faculty of Arts)

U.G. Arts (स्नातक कला वर्ग)

S. No.	Major Subjects from own faculty (Arts Faculty)	Major Subjects from Other Faculty	Minor Subjects (Elective)	Vocational Courses	Co-curricular Course
1.	Economics	- Hindi - English - Sanskrit - Mathematics - Statistics	- Hindi - English - Sanskrit - Economics - Geography - Sociology - Anc. History - History - Pol. Science - Psychology - Defence and Strategic Studies - Physical Education - Commerce - Mathematics - Statistics - Physics - Chemistry - Botany - Zoology	- Tour & Travel Management - Retail Management - Guidance & Counselling - Mass Communication & different Sourcess of knowledge in hindi - CCC (Course on Computer Concept)	- Food Nutrition and Hygiene- Ist Sem. - First Aid and Health- IInd Sem - Human Value & environment studies- IIIrd Sem - Physical Education & Yoga- IVth Sem - Analytical Ability & Digital Awareness-Vth Sem - Communication Skills & Personality Development - VIth Sem
2.	Geography				
3.	Sociology				
4.	Anc. History				
5.	History				
6.	Pol. Science				
7.	Psychology				
8.	Defence and Strategic Studies				
9.	Physical Education				

Note:

1. Select any two subject from own faculty (Arts Faculty).
2. If a student has selected a major subject from other faculty, then he/she may select a minor subject from his own faculty.
3. Every student must have to opt one vocational course in first four semesters.
4. Every student must have to study one Co-curricular course in all six semesters.

Structure of Under Graduate (U.G.) Courses

(NATIONAL EDUCATION POLICY-2020)

Admission B.A. Ist Semester (Faculty of Language)

U.G. Arts (Language) स्नातक कला वर्ग (भाषा)

S. No.	Major Subjects from own faculty Arts Faculty (Language)	Major Subjects from Other Faculty	Minor Subjects (Elective)	Vocational Courses	Co-curricular Course
1.	Hindi	- Economics - Geography - Sociology - Anc. History - History - Pol. Science - Psychology - Defence and Strategic Studies - Physical Education	- Hindi - English - Sanskrit - Economics - Geography - Sociology - Anc. History - History - Pol. Science - Psychology - Defence and Strategic Studies - Physical Education - Commerce - Mathematics - Statistics - Physics - Chemistry - Botany - Zoology	- Tour & Travel Management - Retail Management - Guidance & Counselling - Mass Communication & diffrent Sourcess of knowledge in hindi - CCC (Course on Computer Concept)	- Food Nutrition and Hygiene- Ist Sem. - First Aid and Health- IInd Sem. - Human Value & environment studies- IIIrd Sem. - Physical Education & Yoga- IVth Sem. - Analytical Ability & Digital Awareness-Vth Sem. - Communication Skills & Personality Development -VIth Sem.
2.	English				
3.	Sanskrit				

Note:

- Students cannot opt English and Sanskrit together as a major subject. Select any two major subject from own faculty (Language) either as Hindi & English or Hindi & Sanskrit.
- If a student has selected a major subject from other faculty, then he/she will select a minor subject from minor subjects (Elective).
- Every student must have to opt one vocational course in first four semesters.
- Every student must have to study one Co-curricular course in all six semesters.

Structure of Under Graduate (U.G.) Courses

(NATIONAL EDUCATION POLICY-2020)

Admission B.Com. Ist Semester (Faculty of Commerce)

U.G. Commerce (स्नातक वाणिज्य वर्ग)

S. No.	Major Subjects from Commerce Faculty	Major Subjects from any Faculty	Minor Subjects (Elective)	Vocational Courses	Co-curricular Course
1.	Business Organisation	Business Communication	- Hindi - English - Sanskrit - Economics - Geography - Sociology - Anc. History - History - Pol. Science - Psychology - Defence and Strategic Studies - Physical Education - Commerce - Mathematics - Statistics - Physics - Chemistry - Botany - Zoology	- Introduction to GST - CCC (Course on Computer Concept)	- Food Nutrition and Hygiene- Ist Sem. - First Aid and Health- IInd Sem. - Human Value & environment studies- IIIrd Sem. - Physical Education & Yoga- IVth Sem. - Analytical Ability & Digital Awareness-Vth Sem. - Communication Skills & Personality Development - VIth Sem.
2.	Financial Accounting				

Note:

- 1- Every student must have to opt one vocational course in first four semesters.
- 2- Every student must have to study one Co-curricular course in all six semesters

Structure of Under Graduate (U.G.) Courses

(NATIONAL EDUCATION POLICY-2020)

Admission B.Sc.(PM) Ist Semester (Faculty of Science)

U.G. Science -P.M. (स्नातक विज्ञान-गणित वर्ग)

S. No.	Major Subjects from own faculty (Science Faculty)	Major Subjects from Other Faculty	Minor Subjects (Elective)	Vocational Courses	Co-curricular Course
1.	Physics	- Psychology - Geography - Economics - Defence and Strategic Studies - Physical Education	- Hindi - English - Sanskrit - Economics - Political Science - Sociology - History - Ancient History - Defence and Strategic Studies - Geography - Psychology - Physical Education - Commerce - Physics - Chemistry - Mathematics - Statistics	- Basics of Computer Applications (BCA) - Basics of Microsoft Office (BMO) - Web Designing (WDG) - Information and Communication Technology (ICT) - Good Laboratory Practices (GLP) - CCC (Course on Computer Concept)	- Food Nutrition and Hygiene- Ist Sem. - First Aid and Health- IInd Sem - Human Values & environment studies- IIIrd Sem - Physical Education & Yoga-IVth Sem - Analytical Ability & Digital Awareness-Vth Sem - Communication Skills & Personality Development -VIth Sem
2.	Chemistry				
3.	Mathematics				
4.	Statistics				

Note:

1. Select any two subject from own faculty.
2. If a student has selected a major subject from other faculty, then he/she may select a minor subject from his own faculty.
3. Every student must have to opt one vocational course in first four semesters.
4. Every student must have to study one Co-curricular course in all six semesters

कालेज में प्रस्तावित नीचे दिये गये विषय पुंजों में से किसी एक विषय पुंज (तीन मुख्य विषय) का चुनाव विद्यार्थी कर सकते हैं।

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. भौतिकी, गणित, रसायन शास्त्र | 2. भौतिकी, गणित, सांख्यिकी | 3. भौतिकी, गणित, रक्षा एवं स्रातजिक अध्ययन |
| 4. गणित, सांख्यिकी, भूगोल | 5. गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र | 6. भौतिकी, गणित एवं शारीरिक शिक्षा |
| 7. गणित, सांख्यिकी एवं मनोविज्ञान | 8. गणित, सांख्यिकी एवं शारीरिक शिक्षा | |

Structure of Under Graduate (U.G.) Courses

(NATIONAL EDUCATION POLICY-2020)

Admission B.Sc. (BZ) Ist Semester (Faculty of Science)

U.G. Science -B.Z. (स्नातक विज्ञान—जीव विज्ञान वर्ग)

S. No.	Major Subjects from own faculty (Science Faculty)	Major Subjects from Other Faculty	Minor Subjects (Elective)	Vocational Courses	Co-curricular Course
1.	Botany	- Psychology - Geography - Economics - Defence and Strategic Studies - Physical Education	- Hindi - English - Sanskrit - Economics - Political Science - Sociology - History - Ancient History - Defence and Strategic Studies - Geography - Psychology - Physical Education - Commerce - Botany - Zoology - Chemistry	- Basics of Computer Applications (BCA) - Basics of Microsoft Office (BMO) - Web Designing (WDG) - Information and Communication Technology (ICT) - Fisheries (FSH) - CCC (Course on Computer Concept)	- Food Nutrition and Hygiene- Ist Sem. - First Aid and Health- IInd Sem - Human Value & environment studies- IIIrd Sem - Physical Education & Yoga- IVth Sem - Analytical Ability & Digital Awareness-Vth Sem - Communication Skills & Personality Development -VIth Sem
2.	Zoology				
3.	Chemistry				

Note:

1. Select any two subject from own faculty.
2. If a student has selected a major subject from other faculty, then he/she may select a minor subject from his own faculty.
3. Every student must have to opt one vocational course in first four semesters.
4. Every student must have to study one Co-curricular course in all six semesters

कालेज में प्रस्तावित नीचे दिये गये विषय पुंजों में से किसी एक विषय पुंज (तीन मुख्य विषय) का चुनाव विद्यार्थी कर सकते हैं।

1. वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान एवं रसायन शास्त्र
2. वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान एवं रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन
3. वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान एवं शारीरिक शिक्षा

स्नातक प्रवेश परीक्षा योजना सत्र 2023–24 (Under Graduate Entrance Examination Plan)

सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परीक्षा दो घण्टे की होगी तथा प्रश्नपत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के तथा एक-एक अंक के होंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा (भाषा को छोड़कर)। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रश्नों का विवरण निम्नलिखित है:-

बी0ए0 में प्रवेश हेतु

इस वर्ग के समस्त परीक्षार्थियों के लिए केवल एक प्रश्नपत्र होगा। प्रश्न पत्र में हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित कुल 150 प्रश्न होंगे।

बी0एस-सी0 में प्रवेश हेतु

गणित वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए-भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं गणित से सम्बन्धित कुल 150 प्रश्न तथा जीव विज्ञान वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए-प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र से सम्बन्धित कुल 150 प्रश्न होंगे।

बी0काम0 में प्रवेश हेतु

इस वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए बही खाता एवं लेखाशास्त्र-50, व्यवसायिक संगठन-50, मुद्रा एवं बैंकिंग, व्यवसायिक अर्थशास्त्र एवं भूगोल, व्यवसायिक गणित-50 से सम्बन्धित कुल 150 प्रश्न होंगे।

बी.एस-सी (आनर्स) कृषि में प्रवेश हेतु :- कुल 150 प्रश्न होंगे।

1. मानसिक अभिक्षमता	10
2. रसायन विज्ञान	20
3. भौतिकी एवं गणित (20+20)	40
4. वनस्पति एवं प्राणिशास्त्र (20+20)	40
5. कृषि विज्ञान (विज्ञान के अतिरिक्त)	40

आरक्षण (Reservation)

सभी पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों को आरक्षण सुविधा उ0प्र0 शासन के नवीनतम आदेशों के अनुसार अनुमन्य होगी।

श्रेणी/वर्ग : सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को स्वीकृत स्थान में निम्न अनुपात में आरक्षण दिया जायेगा। **आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं।** इस हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(अ)	अनुसूचित जाति से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए	21 प्रतिशत
(ब)	अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत
(स)	अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत
(द)	आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए	10 प्रतिशत

नोट:-

1. अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार व राजपत्रित अधिकारी द्वारा 31 जुलाई, 2020 के बाद निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
2. आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 का जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

उपश्रेणी/उपवर्ग:-

1. सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उदय प्रताप कालेज परिसर स्थित संचालित सभी शिक्षण संस्थाओं के स्थायी शिक्षकों/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री के लिए **5 प्रतिशत** स्थान आरक्षित होगी। आरक्षण में प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार होगा- 1. सेवारत स्थायी अध्यापक एवं कर्मचारी, 2. सेवाकाल के दौरान मृत स्थायी अध्यापक एवं कर्मचारी, 3. सेवानिवृत्त स्थायी अध्यापकों/कर्मचारियों एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राचार्य/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2. स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जनपद/मण्डल/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए **3 प्रतिशत** स्थान आरक्षित हैं। स्पोर्ट्स कोटा में चयन के लिए अभ्यर्थी का **इण्टरमीडिएट स्तर का खेलकूद प्रमाण पत्र** ही मान्य होगा। खिलाड़ी कोटे में फिटनेस/ट्रायल के पश्चात् प्रवेश दिया जायेगा। महात्मागान्धी काशी विद्यापीठ द्वारा निर्धारित खेलों में ही अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा जैसे:- (तैराकी, तीरंदाजी, बैडमिन्टन, बास्केबाल, मुक्केबाजी, शतरंज, क्रिकेट, क्रॉस-कण्ट्री, फुटबाल, जिम्नास्टिक, हैंडबाल, हॉकी, जूडा, कबड्डी, खो-खो, किक-बाक्सिंग, नेटबाल, पावल लिफ्टिंग, पिस्टल शूटिंग, रग्बी, टेबुल टेनिस, ताइकाण्डो, Tug of War, वालीबाल, रेसलिंग, वुशु, वेट लिफ्टिंग, बेस्ट फिजिक एवं योगा)। ट्रायल में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को खिलाड़ी कोटे में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। **ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश परीक्षा में बैठना अनिवार्य है।**

उपरोक्तानुसार आरक्षण के अतिरिक्त निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण भी लागू होगा।

क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

- | | |
|--|---|
| (क) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए | प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2 प्रतिशत। |
| (ख) उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा सैनिकों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा सैनिकों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों को। | प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत। |
| (ग) शारीरिक रूप से निःशक्तजनों के लिए | प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 3 प्रतिशत। |
| (घ) महिलाओं के लिए | प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत। |

नोट :- आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा फार्म आवेदन पत्र पर निर्दिष्ट स्थान पर उल्लेख करें। इसके अभाव में आरक्षण का लाभ देना सम्भव नहीं होगा।

अधिभार (Weightage)

	अधिभार के प्रकार	अधिभार अंक
A.	उदय प्रताप कालेज परिसर में स्थित उदय प्रताप इण्टर कालेज, रानी मुरार कुमारी बालिका इण्टर कालेज एवं उदय प्रताप पब्लिक स्कूल से उत्तीर्ण/सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों के लिए।	05
B.	एन.सी.सी. (बी) प्रमाण-पत्र/ एन.सी.सी. (सी) प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए।	03/05
C.	स्काउट एवं गाइड से सम्बन्धित किसी शिविर में भाग लिए हुए अथवा प्रशिक्षण प्राप्त लिए हुए अभ्यर्थियों के लिए।	02
D.	उदय प्रताप कालेज के प्राचीन छात्र एसोसिएशन के सदस्यों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/सगी बहन के लिए।	05
	अधिकतम देय अधिभार अंक	10

नोट:- अधिभार से सम्बन्धित सभी प्रमाण-पत्र की सत्यापित एवं मूलप्रति प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में अधिभार देय नहीं होगा।

प्रवेश नियम सत्र 2023–24 (Entrance Rules)

1. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्यताक्रम का निर्धारण अभ्यर्थी के संगणित अंक के आधार पर किया जायेगा।

संगणित अंक = प्रवेश परीक्षा प्राप्तांक + अधिभार अंक (यदि कोई हो)

2. सभी पाठ्यक्रमों में उपलब्ध कुल सीटों की संख्या के आधार पर मुख्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची अलग-अलग बनाई जायेगी। इन सूचियों को प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथियों पर (जैसा महत्वपूर्ण तिथियों में दिया गया है) कालेज वेबसाइट, सूचना पट्ट तथा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा।
3. किसी भी पाठ्यक्रम के लिए चयनित अभ्यर्थियों को अलग से सूचना नहीं भेजी जायेगी। प्रवेश सम्बन्धी सूचना के लिए अभ्यर्थियों को कालेज वेबसाइट, सूचना पट्ट अथवा प्रवेश परीक्षा कार्यालय में सम्पर्क करना होगा।
4. चयनित अभ्यर्थियों के काउंसिलिंग की तिथि, दिन एवं समय की सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट पर दी जायेगी।
5. काउंसिलिंग की निर्धारित तिथि एवं समय पर छात्र के उपस्थित न रहने पर उस छात्र का प्रवेश हेतु दावा रद्द कर दिया जायेगा और उसके स्थान पर अन्य अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा।
6. प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
7. प्रतीक्षा सूची से छात्रों का प्रवेश स्थान उपलब्ध रहने पर ही योग्यता क्रम से किया जायेगा। उन्हें प्रतीक्षा सूची में प्रवेश हेतु दी गई तिथि एवं समय पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
8. जिस अभ्यर्थी का अर्ह परीक्षा का परीक्षाफल किसी भी कारण से प्रवेश काउन्सिलिंग की तिथि तक घोषित नहीं हुआ है वह किसी भी अवस्था में प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं होगा।
9. प्रवेश परीक्षा समिति द्वारा घोषित परिणाम अंतिम होगा। OMR के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।
10. यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख या घोषणा आदि उसके कालेज के अध्ययनकाल के दौरान असत्य पाई गई तो उसका प्रवेश तुरन्त निरस्त कर दिया जायेगा और उसपर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
11. कोई भी अभ्यर्थी जो अपने अध्ययन काल में छात्र के रूप में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता अथवा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए, पिछली संस्था से दण्डित हुआ है, वह इस विद्यालय में प्रवेश के योग्य नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी उक्त तथ्यों को छिपाकर या संयोजक प्रवेश समिति की त्रुटि से प्रवेश पा जाता है तो पता लगने पर उसका प्रवेश तुरन्त निरस्त कर दिया जायेगा।
12. वे अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं और फिर भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, वे किसी भी प्रकार से प्रवेश के दावेदार नहीं होंगे तथा उनका शुल्क वापस नहीं होगा।
13. प्रवेश काउन्सिलिंग के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा हेतु जारी किया गया मूल प्रवेश पत्र अपने साथ लाना आवश्यक होगा।
14. प्रवेश परीक्षाफल की घोषणा के बाद अभ्यर्थी अपनी कक्षाओं के लिए निर्धारित प्रवेश समिति के समक्ष काउन्सिलिंग के लिए निर्धारित तिथि पर अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक शुल्क के साथ उपस्थित होंगे। काउन्सिलिंग के उपरान्त प्रवेश समिति की संस्तुति पर ही प्रवेश दिया जायेगा। प्रमाण-पत्रों या शुल्क की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रवेश का दावा निरस्त कर दिया जायेगा।
15. प्रवेश से सम्बन्धित समस्त निर्णय प्रवेश समिति का होगा, जिसकी संस्तुति पर ही अभ्यर्थी प्रवेश पा सकेंगे।
16. छात्रों का पूर्ण शुल्क केवल एक ही किश्त में जमा होगा।
17. किसी भी अभ्यर्थी को बिना कारण बताये अथवा बिना पूर्व सूचना के प्रवेश न करने अथवा प्रवेश निरस्त करने का तथा प्रवेश से सम्बन्धित अन्य समस्त अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेगा।

स्नातकोत्तर प्रवेश सम्बन्धी सूचनाएँ सत्र 2023—24

(Information Regarding Post Graduate Entrance Examination)

स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु नियमावली:

पात्रता: (Elegibility):

1. कक्षा में किसी भी विषय में प्रवेश हेतु वे ही छात्र/छात्रा अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक अंतिम वर्ष में वह विषय लिया हो जिसमें वे प्रवेश लेना चाहते हैं।
2. स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा वे छात्र भी दे सकते हैं जो स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं परन्तु प्रवेश के समय परीक्षा परिणाम घोषित होना अनिवार्य होगा तथा स्नातक स्तर के सभी वर्षों/सेमेस्टरों स्नातकोत्तर का मूलअंक पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. स्नातकोत्तर (गणित) में प्रवेश हेतु स्नातक कला वर्ग के ऐसे छात्र भी अर्ह होंगे जिन्होंने अन्तिम वर्ष में गणित विषय का अध्ययन किया है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर सांख्यिकी में प्रवेश हेतु स्नातक कला वर्ग के ऐसे छात्र भी अर्ह होंगे जिन्होंने अन्तिम वर्ष में सांख्यिकी विषय का अध्ययन किया है।
4. यदि अभ्यर्थी गतवर्ष में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश ले चुका है और अनुत्तीर्ण हुआ है या कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में बैठने से रोका गया है अथवा उसके विरुद्ध महाविद्यालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, वे प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिये अर्ह नहीं होंगे।

स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा योजना: (Post Graduate Entrance Examination Plan):

1. अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर अंतिम वर्ष में लिए गये विषय/विषयों में ही प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। कृषि एवं वाणिज्य कक्षाओं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी कृषि एवं वाणिज्य स्तर के सभी विषयों में प्रवेश परीक्षा देंगे।
2. प्रवेश परीक्षा के प्रत्येक विषय के प्रश्नपत्र में 100 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा तथा परीक्षा अवधि दो घण्टे की होगी।
3. सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में होंगे (भाषा को छोड़कर)। वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, सांख्यिकी एवं भौतिकी के प्रश्न केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे।
4. आवेदन पत्रों की संख्या निर्धारित प्रवेश स्थानों के दो गुने से कम होने पर उस विषय में प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा तथा प्रवेश परीक्षा शुल्क भी वापस नहीं होगा। ऐसी दशा में विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष अर्हकारी परीक्षा के आधार पर योग्यताक्रम के अन्य सभी नियमों का अनुपालन करते हुए प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का चयन करेंगे।

नोट: स्नातकोत्तर स्तर पर सभी विषयों में सेमेस्टर पद्धति लागू है।

प्रवेश नियम:-

1. आरक्षण का लाभ शासन के नियमानुसार अर्थात् 27% OBC, 21% SC, 2% ST एवं 10% EWS के लिए होगा। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या आरक्षित सीट से कम होती है या अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा नहीं देते हैं तो रिक्त स्थानों पर अन्य अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं।
2. सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उदय प्रताप कालेज परिसर स्थित संचालित सभी शिक्षण संस्थाओं के स्थायी शिक्षकों/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री के लिए **5 प्रतिशत स्थान आरक्षित** होगा। आरक्षण में प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार होगा— 1. सेवारत स्थायी अध्यापक एवं कर्मचारी, 2. सेवाकाल के दौरान मृत स्थायी अध्यापक एवं कर्मचारी, 3. सेवानिवृत्त स्थायी अध्यापकों/कर्मचारियों एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राचार्य/प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अधिभार: (Weightage):

1. उदय प्रताप कालेज, वाराणसी के छात्रों हेतु 05
2. प्राचीन छात्र एसोसिएशन, उदय प्रताप कालेज वाराणसी के सदस्यों के पुत्र/पुत्री/
सगा भाई/सगी बहन 05
3. (i) NCC (B) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण 03
(ii) NCC (C) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण 05
4. NSS (राष्ट्रीय सेवा योजना) के अन्तर्गत
(i) 240 घण्टे (08 एक दिवसीय) की सेवा करने वाले अभ्यर्थी के लिए। 02
(ii) 120 घण्टे (04 एक दिवसीय) की सेवा एवं एक विशेष शिविर (सात दिवसीय)
में भाग लेने वाले अभ्यर्थी के लिए। 03
(iii) 240 घण्टे (08 एक दिवसीय) की सेवा एवं एक विशेष शिविर (सात दिवसीय)
में भाग लेने वाले अभ्यर्थी के लिए। 05
5. खिलाड़ियों हेतु—
(अ) स्नातक कक्षा में प्रदेश स्तरीय अथवा अखिल भारतीय स्तर एवं अन्तर विश्वविद्यालय
के खिलाड़ी हेतु। 05
(ब) अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थी के लिए 03
6. दिव्यांग 03
7. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा) 03
8. रोवर्स/रेंजर्स से सम्बन्धित किसी शिविर में भाग लिए हुए अथवा प्रशिक्षण प्राप्त
लिए हुए अभ्यर्थियों के लिए। 02

नोट:-

1. किसी भी दशा में अधिकतम अधिभार 15 अंक से अधिक देय नहीं होगा।
2. दिव्यांग श्रेणी में न्यूनतम 40 प्रतिशत की विकलांगता पर ही अभ्यर्थी को अधिभार देय होगा।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या एवं विषय कोड

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	स्वीकृत सीटों की संख्या + गरीब सवर्ण(10%)	विषय कोड
1.	एम.ए. –हिन्दी	60 + 06 = 66	11
2.	एम.ए. –अर्थशास्त्र	60 + 06 = 66	12
3.	एम.ए. –भूगोल	30 + 03 = 33	13
4.	एम.ए. –समाजशास्त्र	60 + 06 = 66	14
5.	एम.ए. –प्राचीन इतिहास	60 + 06 = 66	15
6.	एम.ए. –राजनीति शास्त्र	60 + 06 = 66	16
7.	एम०काम०	60 + 06 = 66	21
8.	एम.ए./ एम.एस–सी.–गणित	60 + 06 = 66	31
9.	एम.ए./ एम.एस–सी.–सांख्यिकी	30 + 03 = 33	32
10.	एम.एस–सी.– रसायन विज्ञान	30 + 03 = 33	33
11.	एम.एस–सी.– भौतिक विज्ञान	30 + 03 = 33	34
12.	एम.एस–सी.– प्राणि विज्ञान	30 + 03 = 33	35
13.	एम.एस–सी.– वनस्पति विज्ञान	30 + 03 = 33	36
14.	एम.एस–सी. (कृषि) उद्यान	15 + 02 = 17	41
15.	एम.एस–सी. (कृषि) कृषि अर्थशास्त्र	15 + 02 = 17	41
16.	एम.एस–सी. (कृषि) पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान	08 + 01 = 09	41
17.	एम.एस–सी. (कृषि) कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान	15 + 02 = 17	41

नोट :- रोजगार परक शिक्षा के तहत कालेज में PGDCA (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर अप्लिकेशन.) तथा PGDES (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इनवायरनमेन्ट साइंस) पाठ्यक्रम एक-एक वर्ष का संचालित है जिसमें स्नातक उत्तीर्ण छात्र/छात्राएँ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के साथ इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

कालेज में रोजगार परक शिक्षा के तहत स्नातक के छात्रों के लिए एक वर्ष DCA (डिप्लोमा इन कम्प्यूटर अप्लिकेशन), DICT (डिप्लोमा इन इन्फार्मेशन कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी), DIBT (डिप्लोमा इन बायो-टेक्नोलॉजी) तथा CCC (कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट) NIELIT द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम संचालित है जिसमें कालेज के छात्रों के साथ ही अन्य कालेजों के छात्र भी प्रवेश ले सकते हैं। स्नातक स्तर के छात्र/छात्राएँ स्नातक पाठ्यक्रम के साथ-साथ इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

साथ ही PGDCA (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर अप्लिकेशन.) तथा PGDES (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इनवायरनमेन्ट साइंस) पाठ्यक्रम एक-एक वर्ष का संचालित है जिसमें स्नातक उत्तीर्ण छात्र/छात्राएँ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के साथ इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आनलाईन आवेदन किया जाना है। इस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होगा तथा प्रवेश इण्टर/ स्नातक के मेरिट के आधार पर किया जायेगा। उपरोक्त अलग अलग पाठ्यक्रम का फीस अलग अलग निर्धारित है जिसकी जानकारी कम्प्यूटर अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

कालेज के सामान्य नियम

1. कालेज की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक विषय में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
2. अस्वस्था की स्थिति में उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम 10 प्रतिशत एवं विशेष परिस्थितियों में समुचित कारण बताने पर 05 प्रतिशत की छूट उपस्थिति में दी जा सकती है।
3. प्रत्येक छात्र/छात्रा को अनुशासित सचेष्ट तथा सतर्क रूप में आचरण करना तथा कक्षा में समय से आना एवं शान्ति बनाये रखना अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक छात्र/छात्रा को अपना परिचय पत्र सदैव साथ रखना होगा जो किसी भी अध्यापक या प्राक्टर द्वारा कभी भी माँगा जा सकता है।
5. प्रत्येक छात्र/छात्रा को शालीन वस्त्र पहन कर आना होगा।
6. साइकिल स्टैण्ड शुल्क के रूप में ₹0 50.00 प्रति छात्र वार्षिक लिया जायेगा। साइकिल/निजी वाहन से महाविद्यालय आने वाले छात्र/छात्राओं को कालेज के वाहन स्टैण्ड में रखना अनिवार्य है। वाहन अन्यत्र रखने पर ₹0 100.00 अर्थदण्ड देना होगा।
7. कालेज के सभी शुल्कों का समय से भुगतान करना प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। किसी भी विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र तभी दिया जायेगा जब वह कालेज के सभी शुल्क (छात्रावास, सहकारी समिति, दुग्धशाला) जमा कर देगा तथा सभी सम्बन्धित विभागों एवं पुस्तकालय से अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगा।
8. कालेज के नियमों का उल्लंघन करने, लगातार अनुपस्थित रहने, शान्ति व्यवस्था भंग करने तथा अन्य अनियमितताओं में शामिल होने के कारण विद्यार्थी को कालेज से कभी भी निष्कासित किया जा सकता है।
9. कालेज के सभी मुख्य उत्सवों में केसरिया साफा बाँधना अनिवार्य है।
10. कालेज को अन्तिम रूप से छोड़ने के 6 माह के पश्चात् तथा 18 माह के भीतर ही किसी भी विद्यार्थी को अवधान मुद्रा देय होगी।
11. कालेज से किसी प्रकार की वित्तीय सुविधा (निःशुल्कता, छात्रवृत्ति आदि) प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा की प्रगति असंतोषजनक रहने पर उन्हें उक्त सुविधा से वंचित कर दिया जायेगा।
12. यदि कोई छात्र/छात्रा प्रवेश लेने के पश्चात् मध्य सत्र में ही किसी अन्य जगह प्रवेश लेना चाहता है तो उसे सभी बकाया शुल्कों का भुगतान करना होगा और कालेज द्वारा प्रदत्त वस्तुओं तथा वित्तीय सुविधाओं को वापस करना होगा।
13. चेचक व अन्य संक्रामक बीमारियों (कोविड-19) से बचाव हेतु टीका लगवाना अनिवार्य होगा।
14. किसी छात्र/छात्रा के प्रवेश को रखने या निरस्त करने का सर्वाधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है।

छात्रावास के सामान्य नियम

महाविद्यालय नियन्ता मण्डल, प्राचार्य एवं गवर्निंग बाडी, उदय प्रताप कालेज, वाराणसी द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में महाविद्यालय में किसी भी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सत्र 2023-24 से छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। छात्राओं हेतु महिला छात्रावास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

महिला छात्रावास में प्रवेश हेतु कालेज में प्रवेश पाने के बाद जमा शुल्क की रसीद प्रस्तुत करने पर प्रवेशार्थी को मुख्य गृहपति कार्यालय से प्रवेश के लिए अलग से आवेदन पत्र भरना होगा। छात्राओं का चयन मेरिट के आधार पर साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा। छात्रावास में रहने वाले छात्राओं को एक छात्रावास परिचय-पत्र रखना होगा।

1. छात्रावास में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक छात्रा को छात्रावास का अग्रिम धन ₹0 8000.00 मात्र कालेज की सहकारी समिति में जमा करना होगा। अग्रिम धन सत्रान्त में या कालेज छोड़ते समय तथा अवधान मुद्रा, छात्रावास छोड़ने के छः माह बाद लौटाई जायेगी।
2. छात्रावास के प्रत्येक छात्रा को खेल, व्यायाम आदि में भाग लेना अनिवार्य है।
3. कोई भी छात्रा बिना अपने गृहपति की लिखित आज्ञा के छात्रावास के बाहर नहीं जा सकती है। इस नियम का उल्लंघन करना दण्डनीय है।
4. कालेज परिसर या छात्रावास के किसी कर्मचारी, अधिकारी या विद्यार्थी के साथ दुर्व्यवहार करने पर अथवा अनुशासन सम्बन्धी किसी अवांछनीय क्रिया-कलाप में भाग लेने पर छात्र को छात्रावास और कालेज से निष्कासित कर दिया जायेगा।
5. प्रत्येक छात्रा को अपने पिता या अभिभावक का पूरा पता तथा फोन नम्बर अपने गृहपति को देना होगा। प्रत्येक छात्रा की पढ़ाई और मासिक व्यय पर गृहपति का पूरा नियंत्रण और निरीक्षण रहेगा। इस सम्बन्ध में गृहपति द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियमों और आदेशों का पूरा पालन करना होगा।
6. प्रत्येक छात्रा को प्रतिमाह का भोजनालय सम्बन्धी व्यय का भुगतान अगले माह के 15 तारीख तक सहकारी समिति में कर देना होगा। 15 तारीख तक भोजनालय देय न जमा करने पर छात्र को भोजनालय में भोजन से वंचित किया जा सकता है।
7. छात्रावास में अतिथियों को अपने साथ रखने की अनुमति नहीं है।
8. किसी भी छात्रा द्वारा बिना प्राचार्य के अनुमति से किसी भी बाहरी चिकित्सक को छात्रावास में उपचारार्थ बुलाना मना है।
9. सामान्यतः किसी भी छात्रा को छात्रावास छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परन्तु कोई छोड़ना ही चाहता है तो उसके अभिभावक को कम से कम 15 दिन पूर्व इस हेतु प्राचार्य के यहां प्रार्थना पत्र देना होगा। उसे उस माह के अतिरिक्त अगले तीन माह का पूरा छात्रावास शुल्क भी देना होगा।
10. छात्रावास के भीतर किसी प्रकार का वाद्ययन्त्र रखना और बजाना सख्त माना है। छात्राओं को अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं व अधिक रुपया पैसा रखना भी मना है। वे गृहपति के पास रख सकते हैं।
11. प्राचार्य द्वारा छात्रावास की निगरानी हेतु विशेष निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की गुप्त रिपोर्ट पर अनुशासनहीन छात्राओं को दण्डित किया जायेगा।
12. छात्रावास के भीतर किसी भिखारी, इन्द्रजालिक, धर्मनीति प्रचारक आदि को बुलाना तथा प्रोत्साहन देना एवं किसी प्रकार की गोष्ठी सभा या समारोह का आयोजन बिना गृहपति की अनुमति से करना मना है।
13. छात्रावास में हीटर रखना, दिन में तथा निर्धारित समय के बाद बिजली जलाना, कमरे के भीतर कोई खाने पीने का सामान तैयार करना पूर्णतः वर्जित है। इसका उल्लंघन करने पर छात्रावास तथा कालेज से निष्कासित किया जा सकता है।
14. छात्रावास का कोई भी सामान तोड़ने उसे क्षति पहुँचाने या दूसरे स्थानों पर ले जाने पर छात्रा को उसकी पूरी कीमत चुकानी होगी तथा ऐसा करना अनुशासनहीनता मानते हुए उचित कार्यवाही की जायेगी।

15. जो छात्रा कालेज के निर्धारित पाठ्यक्रम को त्याग कर अन्यत्र कोचिंग संस्थान में जायेगा उसे छात्रावास से सत्र के मध्य में ही निकाल दिया जायेगा।
16. छात्रावास में गत वर्ष रह चुकी उसी छात्रा को प्रवेश दिया जायेगा जो गत वर्ष की परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो तथा जिसका नाम काली सूची में न हो। अनुशासनहीन छात्रा को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
17. प्रथम बार छात्रावास में प्रवेश लेने वाले छात्रा को प्रवेश परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। अनुशासनप्रिय छात्रा को ही छात्रावास में प्रवेश दिया जायेगा।
18. अनुत्तीर्ण/बैक परीक्षा से उत्तीर्ण छात्राओं को छात्रावास की सुविधा नहीं प्रदान की जायेगी।

कालेज में उपलब्ध सुविधाएँ

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र :-

कालेज के कला भवन के कक्ष संख्या-एक में यह केन्द्र स्थित है। इस अध्ययन केन्द्र पर बी.ए., बी.काम., बी०एस-सी. बी.एल.आई.एस.सी., बी.सी.ए., बी.टी.एस., एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.टी.एम., बी.एड. तथा अन्य डिप्लोमा व प्रमाण-पत्र के विषयों के शिक्षण की व्यवस्था पत्राचार द्वारा की गई है। इस संस्था के पाठ्यक्रम का अध्ययन अन्य कार्य करते हुए भी किया जा सकता है। विशेष विवरण के लिए उपरोक्त अध्ययन केन्द्र में अपराह्न 12.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र :-

कालेज के कला संकाय में उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थित है, जहाँ बी०ए०, बी०एस-सी०, बी०काम०, एम०ए०, बी०बी०ए० एम०एस० डब्ल्यू, एम०एस-सी०, एम० कॉम०, एम०बी०ए० एवं अन्य डिप्लोमा व प्रमाण-पत्र विषयों के शिक्षण की व्यवस्था है। इन पाठ्यक्रमों का अध्यापन अन्य कार्य करते हुए भी किया जा सकता है। विशेष विवरण के लिए अध्ययन केन्द्र पर प्रातः 08.00 बजे से सायं 03.00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

भारतीय भाषा केन्द्र :-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 13 भारतीय भाषाओं (तमिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, उड़िया, बंगला, मराठी, असमी, पंजाबी, सिन्धी, कश्मीरी और नेपाली) के निःशुल्क शिक्षण हेतु इस केन्द्र की स्थापना की गयी है। इसमें शिक्षण का समय सायं 5 से 7 बजे तक निर्धारित है। शिक्षण के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी के लिए इसके कार्यालय में सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। यह सुविधा प्रदेश के केवल पाँच महाविद्यालयों को ही प्राप्त है।

पुस्तकालय :-

कालेज के केन्द्रीय पुस्तकालय में सभी विषयों की लगभग 1,30,000 पुस्तकें संग्रहीत हैं। पुस्तकालय विद्यार्थियों के लिए प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुला रहता है। पुस्तकालय में देश-विदेश की शोध-पत्रिकाएँ पर्याप्त संख्या में मँगाई जाती हैं। शोध-प्रबन्ध एवं शोध पुस्तिकाओं के वाचन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। पुस्तकालय में ही बुक बैंक भी स्थापित हैं, जिससे सत्र भर के लिए पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) :-

सभी संस्थाओं में एन.सी.सी. के प्रशिक्षण का अच्छा प्रबन्ध है। यह प्रशिक्षण सप्ताह में केवल दो दिन होता है, साथ ही विद्यार्थी को वार्षिक कैम्प या अन्य सैनिक आयोजनों में भाग लेना आवश्यक होता है। इसमें नामांकन हेतु छात्र/छात्राएँ एन.सी.सी. कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

रोवर्स/रेंजर्स :-

महाविद्यालय में रोवर्स/रेंजर्स की एक-एक टीम संचालित है। सत्र 2022-23 में महाविद्यालय की रेंजर्स टीम ने वाराणसी जनपद में प्रथम स्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अर्न्तमहाविद्यालयीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तथा उत्तर प्रदेश की अर्न्तविश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार रोवर्स की टीम ने वाराणसी जनपद में द्वितीय स्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अर्न्तमहाविद्यालयीय प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान तथा उत्तर प्रदेश की अर्न्तविश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) :-

स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की चार इकाइयाँ हैं। इस योजना में विद्यार्थी को 2 वर्ष तक कार्य करना होता है। इस योजना में नामांकन हेतु छात्र/छात्रा सम्बन्धित इकाई के कार्यक्रम अधिकारी अथवा कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

खेल-कूद एवं शारीरिक सम्बर्द्धन विभाग :-

खेल-कूद के क्षेत्र में इस संस्था को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति उपलब्ध है। छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए खेल-कूद अनिवार्य है। कालेज में हाकी, फुटबाल, बालीवाल, बास्केटबाल, क्रिकेट, बैडमिन्टन आदि खेलों की पूरी व्यवस्था है। खेल प्रशिक्षकों द्वारा इन खेलों का प्रशिक्षण विद्यार्थियों को दिया जाता है। सभी खेलों की प्रति वर्ष अर्न्तछात्रावास तथा डेलीगेसी की प्रतियोगिताएँ होती हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी खेल-कूद में भाग लेना आवश्यक है। संस्थापन समारोह के अन्तर्गत वार्षिक खेल-कूद में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाता है। कालेज परिसर में छात्रों के उपयोग हेतु दो जिम्नेजियम हैं, जहाँ शारीरिक व्यायामों के अतिरिक्त

आसन योगाभ्यास आदि की शिक्षा कुशल और अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा दी जाती है। यह प्रशिक्षण वैकल्पिक है, परन्तु छात्रों के लाभ के लिए अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है।

सन्तरण सरोवर :-

कालेज का अपना एक पक्का आधुनिक ढंग का सन्तरण सरोवर भी है। इसके आधुनिकीकरण का प्रयास किया जा रहा है।

सन्ध्योपासन :-

प्राचीन सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुरक्षण हेतु कालेज परिसर में एक सन्ध्याहाल कालेज के स्थापना काल से ही स्थापित है। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को प्रतिदिन योग्य प्रशिक्षक द्वारा सन्ध्योपासना कराई जाती है। छात्रावास में रहने वाले कालेज के जो छात्र सन्ध्या तथा पी.टी. कार्यक्रम में नियमित रूप से भाग लेंगे उन्हें अगले वर्ष छात्रावास में प्रवेश के लिए वरीयता दी जायेगी। छात्रावास में रहने वाले अनुशासित छात्रों को पुरस्कृत भी किया जायेगा।

अस्पताल :-

परिसर के मध्य में संस्था का अपना एक अलग अस्पताल है, जिसमें योग्य चिकित्सक तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। अस्पताल में छात्र/छात्राओं के उपचार के साथ-साथ आवश्यक होने पर भर्ती करने की भी व्यवस्था है।

छात्रावास :-

कालेज में पाँच छात्रावास है जिसमें चार छात्रों तथा एक छात्राओं के लिए है। प्रत्येक छात्रावास अपनी भोजन व्यवस्था में स्वतः पूर्ण है, जिसका प्रबन्ध गृहपति की सहायता से विद्यार्थी प्रतिनिधियों द्वारा होता है। सभी खाद्य सामग्री सहकारी समिति के माध्यम से खरीदी जाती है। छात्रावासों में नाई, धोबी आदि की भी व्यवस्था है।

कृषि फार्म एवं डेयरी फार्म :-

कृषि के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु कालेज का अपना एक 20 एकड़ का कृषि एवं डेयरी फार्म हैं जिसके प्रमुख अंग निम्नलिखित है। डेयरी में उन्नतशील गाय एवं भैंसों के पालन की उपयुक्त व्यवस्था है। प्राप्त दूध से विद्यार्थियों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, इसलिए परिसर के भीतर निजी दूध विक्रेताओं को निर्धारित दर पर दूध-दही बेचने की अनुमति दी गई है। विद्यार्थियों के पठन-पाठन हेतु आधुनिक कुक्कुटशाला की स्थापना की गई है। यहाँ से छात्रों को अण्डे तथा मुर्गे प्राप्त करने की सुविधा है। इसकी देख-रेख के लिए योग्य परिचर की व्यवस्था है। कालेज में पास दो बड़े तालाब हैं, जहाँ मछलियाँ पाली और बेची जाती हैं। कृषि के छात्रों को भेड़ एवं बकरियों की उन्नतशील प्रजातियों एवं उनसे सम्बन्धित जानकारी देने के उद्देश्य से भेड़ एवं बकरिया पाली गयी है।

सहकारी समिति :-

परिसर में उदय प्रताप कालेज सहकारी समिति सन् 1932 से ही स्थापित है जिसे रजिस्टर्ड 'अ' श्रेणी प्राप्त है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को शुद्ध खाद्य-सामग्री, सब्जी, सरसों का तेल, कपड़ा, साबुन आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की सुविधा भी है। समिति की अपनी आटा तथा तेल मिले हैं। समिति दैनिक उपयोग की वस्तुएं तथा लेखन सामग्री की भी बिक्री करती है। समिति के निरीक्षण में ही मिठाई विक्रेता, मोची आदि की सेवाएं छात्रों को उपलब्ध है।

कालेज पत्रिका :-

कालेज द्वारा 'उदयश्री' नाम की एक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है, जिसका सम्पादन विद्यार्थियों तथा अध्यापकों द्वारा होता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा को प्रकाश में लाने का अवसर दिया जाता है। प्राचीन छात्रों से भी पत्रिका हेतु लेख आमन्त्रित किये जाते हैं।

राजर्षि सभागार :-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान से लगभग 2000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला आधुनिकतम बहुउद्देशीय राजर्षि सभागार उपलब्ध है।

विभागीय परिषदें :-

छात्रों के सर्वांगीण विकास एवं उनके ज्ञानवर्धक प्रवृत्तियों के विकास के लिए विभागीय परिषदों की स्थापना की गई है, जिनके माध्यम से विचार-गोष्ठी, शोध-गोष्ठी, वाद-विवाद प्रतियोगितायें, चलचित्र प्रदर्शन एवं शैक्षणिक पर्यटन का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक विभागीय परिषद के अपने पुस्तकालय भी हैं, जहाँ स्नातकोत्तर तथा शोध छात्रों हेतु उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध हैं।

शोध परियोजनाएँ :-

केन्द्र एवं राज्य सरकारों के आर्थिक अनुदानों से कालेज में अनेक शोध परियोजनायें प्रगति पर हैं तथा अन्य स्वीकृत भी हुई है।

कालेज के प्रमुख उत्सव :-

उदय प्रताप शिक्षा समिति द्वारा संचालित सभी इकाइयों द्वारा समवेत रूप से राष्ट्रीय पर्व एवं उत्सव एक साथ मनाये जाते हैं। 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को सभी इकाइयों के एन.सी.सी. छात्रों द्वारा आकर्षक परेड प्रस्तुत की जाती है। कालेज में प्रतिवर्ष 3 सितम्बर राजर्षि जयन्ती एवं 25 नवम्बर संस्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। संस्थापन सप्ताह (19 नवम्बर से 25 नवम्बर) के अन्तर्गत छात्रावास एवं डेलीगेसी के छात्र/छात्राओं के बीच खेल-कूद, वाद-विवाद, लोकगीत आदि प्रतियोगितायें आयोजित की जाती हैं।

बैंक एवं पोस्ट आफिस :-

कालेज परिसर में छात्रों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सुविधा हेतु मुख्य प्रवेश द्वार के समीप इण्डियन बैंक की शाखा एवं पोस्ट आफिस स्थित है।

कैण्टीन :-

कालेज में छात्र/छात्राओं, अध्यापकों और कर्मचारियों हेतु एक आधुनिक ढंग की कैण्टीन है जिसमें अल्पाहार की व्यवस्था है।

छात्राओं का कामन रूम :-

कालेज की छात्राओं हेतु आवश्यक सुविधा युक्त कामन रूम उपलब्ध है।

प्राचीन छात्र एसोसिएशन :-

प्राचीन छात्रों की एक अलग रजिस्टर्ड संस्था है, जिसका अपना निवास-भवन और कार्यालय है। इस विद्यालय से उत्तीर्ण होने के दो वर्ष बाद विद्यार्थी वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा कर इसके सदस्य बन सकते हैं। परिषद की नियमावली परिषद भवन से प्राप्त की जा सकती है। सम्प्रति प्राचीन छात्रों के आश्रितों को प्रवेश में पांच अंक अधिभार दिया जाता है।

रेलवे कन्सेशन :-

विद्यार्थियों को यात्रा हेतु कालेज से रेलवे कन्सेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। यह कन्सेशन केवल पांच दिनों से अधिक की छुट्टियों में विद्यार्थी को घर जाने तथा आने हेतु मिलता है। अतः घर के निकटस्थ रेलवे स्टेशन का नाम प्रवेश आवेदन पत्र पर लिखना अनिवार्य है।

छात्रवृत्तियाँ एवं छात्र सहायता सुविधाएँ :-

कालेज में योग्य एवं प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष निर्धन छात्र कोष, प्राचीन छात्र एसोसिएशन तथा सहकारी समिति के दान कोष से अनेक विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। शिक्षण शुल्क में अर्द्ध तथा पूर्ण निःशुल्कता प्रत्येक कक्षा में छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर दी जाती है। कालेज का यह प्रयत्न रहता है कि कोई निर्धन परन्तु योग्य छात्र आर्थिक कठिनाईयों के कारण शिक्षा पाने से वंचित न रह जाय।

राजर्षि जयन्ती और संस्थापन समारोह सप्ताह के अवसरों पर कालेज की परीक्षाओं में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को विविध पुरस्कार दिये जाते हैं।

छात्रसंघ :-

छात्रसंघ छात्र/छात्राओं एवं कालेज प्रशासन के बीच सेतु का कार्य करता है।

आई.क्यू.ए.सी. :-

कालेज के शैक्षणिक एवं संरचनात्मक गुणवत्ता की सतत अभिवृद्धि के लिए आन्तरिक गुणवत्ता अनुभाग का गठन किया गया है।

कैरियर काउन्सिलिंग एवं प्लेसमेन्ट सेल :-

रोजगार सम्बन्धी सूचना, दिशा निर्देश एवं छात्रों के प्लेसमेन्ट के लिए यह सेल क्रियाशील है। इस सेल के माध्यम से विगत वर्षों में छात्र/छात्राओं को विभिन्न कम्पनियो (IBM-Daksha, Dayal Fertilizer, Indo Gulf, BAIF, Matrix Lab Ltd. Laboratories, ICICI Bank, LIC, Reliance, Vodaphone इत्यादि) में अच्छे पैकेज पर रोजगार उपलब्ध हुआ है।

महिला प्रकोष्ठ :-

कालेज में छात्राओं की सुरक्षा, कल्याण एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए यह प्रकोष्ठ क्रियाशील है।

रेमेडियल कोचिंग/सर्विस हेतु कोचिंग :-

यू.जी.सी. द्वारा अनुदानित यह सुविधा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े छात्र/छात्राओं के लिए है।

माडल प्रश्न

कला वर्ग:-

प्रश्न: हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था—

(A) 1975

(B) 1885

(C) 1757

(D) 1526

प्रश्न : कामायनी किस कवि की रचना है—

(A) जयशंकर प्रसाद

(B) मुंशी प्रेमचन्द

(C) महादेवी वर्मा

(D) सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला

प्रश्न : विलियम शेक्सपियर किस भाषा के लेखक है—

(A) अंग्रेजी

(B) उर्दू

(C) हिन्दी

(D) फ्रेंच

प्रश्न : किस देश को उगजे सूरज का देश कहा जाता है—

(A) जापान

(B) भारत

(C) रूस

(D) अमेरिका

प्रश्न : संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यालय स्थित है—

(A) इंग्लैण्ड

(B) भारत

(C) कनाडा

(D) न्यूयार्क

प्रश्न: एडमस्मिथ सम्बन्धित है—

(A) भूगोल

(B) अर्थशास्त्र

(C) भौतिक विज्ञान

(D) वनस्पति विज्ञान

प्रश्न : सामाजिक समस्याओं और मानवीय प्रगति के अध्ययन से सम्बन्धित विषय को कहते हैं —

(A) इतिहास

(B) सामाजिक विज्ञान

(C) एनेटामी

(D) अर्थशास्त्र

वाणिज्य वर्ग:-

प्रश्न: उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण का प्रतिवादक कौन था—

(A) हिक्स

(C) मार्शल

(B) एडमस्मिथ

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

प्रश्न: किसने कहा है— मुद्रा वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है—

(A) मार्शल

(C) राबर्टसन

(B) कीन्स

(D) सेलिंग मैन

विज्ञान वर्ग (गणित वर्ग):-

प्रश्न : निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत-चुम्बकीय तरंग नहीं है—

- | | |
|-------------------|-----------------|
| (A) अल्फा किरणें | (B) गामा किरणें |
| (C) अवरक्त किरणें | (D) एक्स किरणें |

प्रश्न: प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है—

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| (A) व्यतिकरण द्वारा | (B) ध्रुवण द्वारा |
| (C) विवर्तन द्वारा | (D) अपूर्ण आन्तरिक परावर्तन द्वारा |

विज्ञान वर्ग (जीव विज्ञान):-

प्रश्न : 10^{-8} MHCL का P^H होगा—

- | | |
|-------------|--------|
| (A) 7 | (B) 8 |
| (C) 7 से कम | (D) 10 |

प्रश्न: वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं—

- | | |
|------------------|----------------|
| (A) एरिस्टाटिक | (B) हूकट |
| (C) थियोफ्रेस्टस | (D) जे.सी. बोस |

प्रश्न: निम्नलिखित में कौन सा पौधा C, ग्रुप का है—

- | | |
|-----------|-----------|
| (A) गेहूँ | (B) गन्ना |
| (C) चना | (D) मटर |

प्रश्न: आनुवांशिकी के जन्मदाता हैं—

- | | |
|------------|----------------|
| (A) न्यूटन | (B) राबर्ट हुक |
| (C) खुराना | (D) मैण्डल |

प्रश्न: सामान्य मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या है—

- | | |
|--------|--------|
| (A) 45 | (C) 30 |
| (B) 46 | (D) 25 |

कृषि वर्ग:-

प्रश्न: गेहूँ में लगने वाला मुख्य रोग है—

- | | |
|-------------------|------------------|
| (A) काला रतुआ रोग | (C) लाल सड़न रोग |
| (B) सफेद रतुआ रोग | (D) टिक्का रोग |

प्रश्न: भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है—

- | | |
|-----------------|----------------|
| (A) दिल्ली में | (C) मुम्बई में |
| (B) कोलकाता में | (D) बनारस में |

प्रश्न: निम्नलिखित में से धान की सुगंधित प्रजाति है—

- | | |
|-------------|--------------|
| (A) जया | (C) टी-3 |
| (B) साकेत-4 | (D) आई.आर.-8 |

प्रवेश परीक्षा में उत्तर अंकित करने के अनुदेश/ Instruction for marking answer in Entrance Test

1. केवल काला/नीला बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें।
2. प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर अंकित किया जाना है। यदि आप एक से अधिक उत्तर अंकित करते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा।
3. उत्तर अंकित करने के लिए सम्बन्धित एक ही वृत्त को बॉल पेन से पूर्णतया गहरा काला/नीला करें।
4. अपना उत्तर केवल उत्तर पत्रक में निर्दिष्ट स्थान पर ही अंकित करें। उत्तर पत्रक में कहीं अन्यत्र अंकन करने पर उसकी गणना नहीं की जायेगी।
5. रफ कार्य के लिए प्रश्नपुस्तिका में निर्धारित स्थान का ही प्रयोग करें।
6. उत्तर पत्रक किसी भी स्थिति में खाली/कोरी (Blank) न छोड़े।
7. उत्तर पत्रक कम्प्यूटर द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा। उत्तर पत्रक के सही मूल्यांकन हेतु सही निर्देशों का पालन अति आवश्यक है। निर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. उत्तर पत्रक को न तो मोड़े और न ही गन्दा करें।
9. उत्तर पत्रक का नमूना संलग्न है तथा उत्तर पत्रक भरने हेतु निर्देश भी इसके पृष्ठ पर अंकित है।

प्रवेश पत्र/ Admit Card

- प्रवेश पत्र कालेज बेवसाइट www.upcollege.ac.in पर डाउनलोड किया जा सकता है।

काउन्सिलिंग के समय निम्नलिखित के साथ उपस्थित हों :-

- 1- प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र की मूल प्रति (Admit Card)
2. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र तथा उनकी छायाप्रतियाँ।
3. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र तथा उनकी छायाप्रतियाँ।
4. (स्नातकोत्तर कक्षाओं के अभ्यर्थियों हेतु) स्नातक या समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र तथा उनकी छायाप्रतियाँ।
5. चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
6. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.)/प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration) की मूल प्रति।
7. श्रेणी (वर्ग), उपश्रेणी (उपवर्ग) अधिभार से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र एवं छायाप्रति।
8. खेलकूद से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र एवं छायाप्रति।
9. प्रवेश शुल्क रसीद मूलरूप में।
10. एण्टी रैगिंग से सम्बन्धित दो शपथ पत्र (विद्यार्थी एवं अभिभावक द्वारा) प्रारूप कालेज बेवसाइट पर उपलब्ध है।
11. अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार व राजपत्रित अधिकारी द्वारा 31 जुलाई, 2020 के बाद निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
12. आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
13. आधार कार्ड की छायाप्रति।

नोट:-

1. प्रवेश के समय कोई अण्डर टेकिंग मान्य नहीं होगी।
2. प्रवेश सम्बन्धी सूचनाएँ समय-समय पर कालेज की बेवसाइट www.upcollege.ac.in पर उपलब्ध रहेगी।
3. काउन्सिलिंग के समय किसी भी आवश्यक दस्तावेज के अभाव में प्रवेश सम्भव नहीं होगा।

संस्थापक पूज्य राजर्षि के विद्यालय के सम्बन्ध में उद्गार

“ यही आशा अटके रह्यो, अलि गुलाब के मूल।

अइहँ बहुरि बसन्त ऋतु, इन डारिन वे फूल।।”